



छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

(ISO 9001:2008 Certified)

प्रथम तल, उद्योग भवन, रिंग रोड नं. 01, तेलीबांधा, रायपुर, (छ.ग.) 492006

CIN : U45203CT1981SG001853, PAN : AABCM6288N, ST Regn No. : AABCM6288ND004

दूरभाष : कार्यालय- 0771-6002071,72,73 फैक्स: 0771-2583794

Website: www.csidc.in Email address: csidc.cg@nic.in, csidc_raipur@yahoo.com

निविदा आमंत्रण सूचना (मैन्सूअल पद्धति)

निविदा क्रमांक 02/संभाग-4/2017-18/

रायपुर, दिनांक 17/04/2017

मुहरबंद निविदाये फार्म 'ए' (प्रतिशत दर) पर वांछित श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य में एकीकृत पंजीयन प्रणाली ई-पंजीयन के अंतर्गत 'द' वर्ग एवं इससे ऊपर पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु दिनांक 09/05/2017 अपराह्न 3.00 बजे तक कार्यालय कार्यपालन अभियंता संभाग-04 सीएसआईडीसी, प्रथम तल, उद्योग भवन, रिंग रोड नं. 01, तेलीबांधा, रायपुर, (छ.ग.) में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदायें उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी।

स. क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत रु.	अमानत राशि रु.	निविदा प्रपत्र मूल्य रु.	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदाकार की श्रेणी	दर अनुसूची (एस.ओ.आर)
1	औद्योगिक क्षेत्र बोर्ड में दुर्ग जालबांधा सड़क से ग्राम सिलोदा के श्मशान घाट तक सड़क का डामरीकरण का कार्य।	9.24 लाख	7000/-	750/-	01 माह वर्षा ऋतु छोड़कर	द-वर्ग एवं इससे उपर	प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायपुर द्वारा प्रचलित सड़क एस.ओ.आर. दिनांक - 01.01.2015 से प्रभावशील एवं निविदा दिनांक तक संशोधित।

शर्तें :-

- (1) कोरे निविदा प्रपत्र इस कार्यालय के कार्यपालन अभियंता संभाग-04 से कार्यालयीन अवधि में निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य मुख्यालय उद्योग भवन, प्रथम तल रिंग रोड नम्बर 01, तेलीबांधा रायपुर में नगद भुगतान कर दिनांक 08/05/2017 को अपराह्न 4.00 बजे तक संभाग-04 कार्यालय, रायपुर से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- (2) उपरोक्त कार्य में उपयोग की जाने वाली गौण खनिज का रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करने के पश्चात ही अंतिम देयक का भुगतान किया जावेगा।
- (3) निविदा आवेदन के साथ जीवित पंजीयन, अद्यतन वर्ष 2016-17 का आयकर एवं वाणिज्यकर चुकता प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, जीवित सालवेंसी न्यूनतम रु. 1.39 लाख, जो 12 माह से पूर्व जारी न किया गया हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (4) उल्लेखित कार्य पूर्ण करने की अवधि से 03 वर्षों (36 माह) तक संपादित कार्य का संधारण तथा मरम्मत कार्य ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय से किया जाना है। जिसके लिए कार्य की संपूर्ण लागत की 5% राशि Performance Guarantee के रूप में रोकी जावेगी, तथा वह राशि सफलतापूर्वक आवश्यक संधारण तथा मरम्मत कार्य पूर्ण किये जाने पर ही विमुक्त की जावेगी।
- (5) सड़क निर्माण के कार्य हेतु निविदा आवेदन के साथ कार्य के लिये वाईब्रेटरी रोड रोलर, MORTH के अनुरूप हॉट मिक्स प्लांट एवं मेकेनिकल पेवर फिनिशर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (6) उक्त उल्लेखित टूल्स एण्ड प्लांट्स स्वयं के स्वामित्व का हो का प्रमाण पत्र कार्यपालन अभियंता द्वारा जारी किया गया हो। जारी किया गया प्रमाण पत्र 2 वर्ष से अधिक अवधि का होने पर मान्य नहीं किया जावेगा। यदि किराये पर लिया जाता है तो भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर किये जाने वाले किरायानामा अनुबंध पत्र जो इसी कार्य के लिए जारी किया गया हो, उपलब्ध उक्त मशीनों का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो एवं जिससे किरायानामा अनुबंध निष्पादित किया गया हो उस एजेंसी का टूल्स एण्ड प्लांट्स का स्वामित्व का सत्यापन कार्यपालन अभियंता द्वारा जारी किया गया हो।
- (7) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा 3 (1) के अंतर्गत निर्माण कार्य (Construction Works) पर 1 प्रतिशत उपकर (सेस) देय होगा। देयको के भुगतान में से उक्त राशि काटी जावेगी।
- (8) निगम द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मापदण्ड के अनुसार ही निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की प्राप्ति होगी।
- (9) निविदायें निगम की निविदा पेट्टी में डालनी होगी। डाक द्वारा प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी।
- (10) कोई भी या सभी निविदायें स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

कार्यपालन अभियंता, संभाग-04

18/4